प्रेस विज्ञप्ति

11/03/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने 08.03.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पंजाब के तत्कालीन विधायक सुखपाल सिंह खैरा की अचल संपत्ति यानी आवासीय घर (चंडीगढ़ स्थित- हाउस नंबर 6, सेक्टर 5) के रूप में **3.82 करोड़ रुपये** के अपराध के आगम (पीओसी) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

पंजाब पुलिस द्वारा की गई तलाशी और जांच के दौरान सामूहिक रूप से कुल 1800 ग्राम हेरोइन, एक .315 बोर पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस, 02 पाकिस्तानी सिम, एक .32 बोर रिवॉल्वर और 24 जिंदा कारतूस व एक खाली कारतूस, 24 सोने के बिस्कुट और मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसमें से 350 ग्राम हेरोइन, एक पाकिस्तानी सिम, एक .32 बोर वेब्ले स्कॉट मेड इन इंग्लैंड रिवॉल्वर, 24 जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और 333 ग्राम कुल वजन के 24 सोने के बिस्कुट किसी गुरदेव सिंह (आरोपी) से बरामद किए गए। फाजिल्का की माननीय विशेष अदालत ने 31.10.2017 को अपने आदेश में गुरदेव सिंह और आठ अन्य को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट), 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि सुखपाल सिंह खैरा ने गुरदेव सिंह (आरोपी) और उसके विदेश स्थित सहयोगियों द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से अर्जित 3.82 करोड़ रुपये के अपराध के आगम हासिल किए और उसका इस्तेमाल किया। सुखपाल सिंह खैरा द्वारा स्वापक (नारकोटिक) पदार्थों की तस्करी के लिए प्रदान किए गए संरक्षण/मार्ग के एवज में, गुरदेव सिंह ने सुखपाल सिंह खैरा को 3.82 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया और अवैध ड्रग्स कारोबार से अर्जित अपराध के आगम से उनके चुनाव अभियानों को भी वित्तपोषित किया।

गुरदेव सिंह बाजार समिति, ढिलवां के अध्यक्ष रह चुके हैं और वे सुखपाल सिंह खैरा के करीबी सहयोगी थे। 01.04.2014 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान, सुखपाल सिंह खैरा और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 6.61 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से इतर 3.82 करोड़ रुपये अधिक के बेहिसाब व्यय की पहचान की गई। दिनांक 09.03.2021 और 10.03.2021 को की गई तलाशी में जब्त हस्तलिखित नोटबुक से इसका खुलासा हुआ है।

सुखपाल सिंह खैरा को 11.11.2021 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था और गुरदेव सिंह और सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ 06.01.2022 को मोहाली, पंजाब के माननीय पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। माननीय पीएमएलए न्यायालय ने अपने दिनांक 17.10.2023 के आदेश के तहत आरोप तय किए हैं।